


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
----------------	------------------------------------

अर्जाधी सख्या 12 जसोराबा, 13 दमपवरी,  
 17 बबला 21 फेब्रुवरी, 22 फेब्रुवरी  
 को फात डेनो बताया है। अतः इनके  
 मापम मुकाम कि खुशी पेश करे। अतः  
 रहे अर्जाधीगणों को नोरीक कदम लीजिये  
 जात हुए है। अतः बनील वादी पुन P.F  
 व समान पेश करे पेश करने पर  
 लालवी जादी हो। याव ही अधिवक्ता जयपी  
 की और से फाटरेकत दस्तावेज पेश किं  
 जो शामिल पठावली हो। व अधिवक्ता खुशी  
 शीतली ने मदनलाल डं. नावु अर्जाधीगण  
 24 की और से बगालात नाग पेश किया  
 व अधिवक्ता शबरी सुगरी के हाव अर्जाधी  
 स. 24 ललित सुगार डं. रमेसुगार की  
 और से बगालात नाग पेश किया जो शामिल  
 पठावली हो। पठावली आवरत किमत पठावली  
 में अधिवक्ता खुशीर शीतली के हाव उरिवारी  
 मदनलाल कि और से अर्जाधी-पत्र 07 RII, CAC  
 ड. 151 C PC पेश किया जो शामिल किमत के  
 पठावली वास्ते जवाब जयपी-पत्र 07 उरिवारी  
 17/8/2021 को पेश हो।

17/8/2021

(अधिवक्ता) कलेक्टर  
 (ए. डी. ओ.) देसुरी (बाली)

अर्जाधी  


अर्जाधी 340  
 अधिवक्ता मुकेश शीतली 340  
 उरिवारीगण उमोद इत्यादी के अधिवक्ता  
 शीतली सुधीर शीतली 340  
 बनील वादी ने अर्जाधी-पत्र बाद को निरस्त  
 करने एक आगे नही चलाने हेतु प्रस्तुत किया  
 गया। जिसकी उरि उरिवारी गण अधिवक्ता  
 को दिकारी गई। बनील वादी ने प्रस्तुत अर्जाधी  
 -पत्र पर अधिवक्ता गण को खुना गया।  
 पठावली का अवलोकन किया गया। बनील  
 वादी हाव प्रस्तुत अर्जाधी-पत्र के तत्वों  
 के अनुसार बाद में आपसी सह समझौते  
 व पारिवारिक विचारों से बाद पत्र को आगे  
 चलाना नही चाहते है। तथा हुमा बाद उरिवारी  
 का निस्तारण आज ही किमो जाने कि उरिवारी  
 कि गई। अतः उपरोक्त विवेचन से पर  
 होता है कि वादी रबेकका से बाद आगे  
 चलाना नही चाहता है। अतः बाद बाद  
 द्वारा प्रस्तुत अर्जाधी-पत्र के अनुसार गे  
 जरीपे विवेक खारीज किया जात है। निर्णय  
 अरे इपलोकन खुनाया गया। पठावली किमत  
 सुगार डेकर नुम्बर से नग हो।

सहायक कलेक्टर  
 (ए. डी. ओ.) देसुरी (बाली)